(210)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3194–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–6–15 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत 2 तहसील हुजूर, भोपाल प्रकरण कमांक 33/अ–12/2014–15.

देवीराम विश्वकर्मा आत्मज स्व. छोटेराम विश्वकर्मा
निवासी ग्राम जमुनिया कला
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

कुसुम तिवारी पुत्री एस.आर. तिवारी
निवासी म.नं. 70, लाला लाजपतराय कॉलौनी
रायसेन रोड, भोपाल .....अनावेदिका

श्री एम.एल. रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री लोकेश भास्कर, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 28/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत 2 तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम जमुनिया कला स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 458, 459, 460, 461 एवं 464 रकबा कुल रकबा 1.700 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–12/14–15 दर्ज कर दिनांक 1–6–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदक को कोई सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है और न ही उसके द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि

राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का पालन किये बगैर सीमांकन किया गया है, जो विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी हुआ ही नहीं था, इस बात की जानकारी सीमांकन दल को होने पर उनके द्वारा मौके पर ही सूचना पत्र तैयार किया जाकर आवेदक द्वारा नोटिस लेने व हस्ताक्षर करने से इंकार करने सम्बन्धी टीप चौकीदार से अंकित कराई गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि उसके द्वारा अनावेदिका की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है और आवेदक की भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी मेड़ बनी हुई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को न तो सूचना दी गई है और न ही विधिवत सीमांकन किया गया है, इसलिए सीमांकन आदेश निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया है, किन्तु आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन गया जाकर पंचनामा तैयार किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था, किन्तु उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का विधिवत पालन करते हुए सीमांकन किया गया है, इसलिए आवेदक की निगरानी निरस्त किया जाये !

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा आवेदक सहित सभी पड़ोसी कृषकों को सीमांकन की सूचना दी गई है । आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था, परन्तु उसके द्वारा सूचना पत्र लेने एवं पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि सीमांकन पंचनामा एवं प्रतिवेदन को देखने से होती है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा अनावेदिका की भूमि का विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत 2 तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर